GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINSTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD)/रेलवे बोर्ड

S. No. PC-VI/228
No. PC-V/2009/ACP/2

RBE No. 143 /2010
New Delhi, dated 29.09.2010

The General Managers
All Indian Railways & PUs
(as per mailing list)

**Subject: Modified ACP Scheme (MACPS) for Railway employees - clarifications regarding.**

In continuation to the Board's letter of even number dated 10.06.2009 notifying the Modified ACP Scheme for Railway employees, point-wise clarifications on certain issues pertaining to the MACPS, as received from the Department of Personnel & Training, are indicated below:-

| S. No. | Point of doubt | Clarification |
|---|---|---|
| 1. | Whether the Pay Band would change in the hierarchy of Pay Bands & Grade Pay on grant of the benefits under MACPS? | The upgradations under MACPS are to be granted in the immediate next higher grade pay in the hierarchy of recommended revised pay band and grade pay as prescribed in the RS (RP) Rules, 2008. |
| 2. | Whether the benefits of MACPS would be allowed to the Railway servants who have been later on inducted in the Organized Group 'A' Service? | No. The benefit under MACPS is not applicable to Group 'A' officer of Organised Group 'A' Services, as the officer under Organized Group 'A' Services have already been allowed parity of two years on non-functional basis with the officers of Indian Administrative Services (IAS). |
| 3. | How will the benefits of ACP be granted, if due between 01.01.2006 and 31.08.2008? | The new MACPS has come into existence w.e.f. 01.09.2008. However, the pay structure has been changed w.e.f. 01.01.2006. Therefore, the previous ACPS would be applicable in the new pay structure adopted w.e.f. 01.01.2006. **Para 6.1 of Annexure-I of MACPS is only for exercising option for coming over to the revised pay structure and not for grant of benefits under MACPS.** The following illustrations would explain the position :-<br><br>**<u>(A) In the case of isolated post:</u>**<br>Date of appointment in entry Grade in the pre-revised pay scale of **Rs.4000-6000:** 01.10.1982 ,<br><br>1st ACP granted on 01-10-1999: **Rs.4500-7000 (pre-revised)**<br>2nd ACP due on 01.10.2006: **Rs.5000-8000 (pre-revised) [revised PB-2 Grade Pay of Rs.4200]**<br>3rd financial upgradation under the MACPS would be due on 01.10.2012 (on completion of 30 years of continuous regular service) in the immediate next higher grade pay in the hierarchy of recommended revised pay band and grade pay i.e. Grade Pay of Rs.4600 in PB 2. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **(B) In case of normal promotional hierarchy:**<br>Date of appointment in entry Grade in the pre-revised pay scale of **Rs.5500-9000: 01.10.1982**<br>1st ACP granted on 1-10-1999: **Rs.6500-10500 (pre-revised)**<br>2nd ACP due on 01.10.2006 (as per the existing hierarchy): **Rs.10000-15200 (pre-revised). Therefore, 2nd ACP would be in PB-3 with Grade Pay of Rs.6600 (in terms of hierarchy available)**:<br>3rd financial upgradation under MACPS would be due on 01.10.2012 in the immediate next higher grade pay in the hierarchy of recommended revised pay band and grade pay of Rs.7600. |
| 4. | Whether the benefits of MACPS would be granted from the date of entry grade or from the date of their regular service/approved service counted under various service rules? | The benefits under MACPS would be available from the date of actual joining of the post in the entry grade. |
| 5. | In a case where a person is appointed to an ex-cadre post in higher scale on deputation followed by absorption, whether the period spent on deputation period would be counted as continuous service in the grade or not for the purpose of MACPS? | (i) Where a person is appointed on direct recruitment/deputation basis from another post in the same grade, then past regular service as well as past promotions/ACP, in the earlier post, will be counted for computing regular service for the purpose of MACPS in the new hierarchy.<br><br>(ii) However, where a person is appointed to an ex-cadre post in higher scale initially on deputation followed by absorption, while the service rendered in the earlier post, which was in a lower scale cannot be counted, there is no objection to the period spent initially on deputation in the ex-cadre post prior to absorption being counted towards regular service for the purposes of grant of financial upgradation under MACPS, as it is in the same Pay Band/Grade pay of the post. |
| 6. | Whether the pay scale/grade pay of substantive post would be taken into account for appointment/selection to a higher post on deputation basis or the pay scale/grade pay carried by a Railway servant on account of financial upgradation(s) under ACP/MACP Scheme? | The pay scale/grade pay of substantive post would only be taken into account for deciding the eligibility for appointment/selection to a higher post on deputation basis. |
| 7. | In a case where 1st/2nd financial upgradations are postponed on account of the employees not found fit or due to departmental | Yes. If a financial upgradation has been deferred/postponed on account of the employee not found fit or due to departmental proceedings, etc., the 2nd/3rd financial upgradations under MACPS would have consequential effect. |

| | | |
|---|---|---|
| | proceedings, etc., whether this would have consequential effect on the 2nd/3rd financial upgradation or not? | (Para 18 of Annexure-I of MACPS referred). |
| 8. | In a case where the Railway servant has already earned three promotions and still stagnated in one grade for more than 10 years, whether he would be entitled for any further upgradation under MACPS? | No. Since the Government servant has already earned three promotions, he would not be entitled for any further financial upgradation under MACPS. |
| 9. | Whether the pre-revised pay scale of Rs.2750-4400 in respect of Group 'D' non-matriculate employees, would also be taken as merged to grade pay of Rs.1800 for the purpose of MACPS in view of merger of pre-revised pay scales of Rs.2550-3200, Rs.2610-3540, Rs.2610-4000 and Rs.2650-4000, which have been upgraded and replaced by the revised pay structure of grade pay of Rs.1800 in the pay band PB-I? | Yes. |
| 10. | If a Railway servant on deputation earns upgradation under MACPS in the parent cadre, whether he would be entitled for deputation (duty) allowance on the pay and emoluments granted under the MACPS or not? | No. While eligibility of an employee for appointment against ex-cadre posts in terms of the provisions of the RRs of the ex-cadre post will continue to be determined with reference to the post/pay scale of the post held in the parent cadre on regular basis (and not with reference to the higher scale granted under ACPS/MACPS), such an officer, in the event of his selection, may be allowed to opt to draw the pay in the higher scale under ACP/MACP Scheme without deputation allowance during the period of deputation, if it is more beneficial than the normal entitlements under the existing general order regulating pay on appointment on deputation basis. |
| 11. | Since the pay scales of Group 'D' employees have been merged and placed in the Grade Pay of Rs.1800, whether they are entitled for grant of increment @ 3% during pay fixation at every stage. | Yes. On the analogy of point 22 of Annexure-I of MACPS, the pay of such Group 'D' employees who have been placed in the Grade Pay of Rs.1800 w.e.f. 01.01.2006 shall be fixed successively in the next three immediate higher grade pays in the hierarchy of revised pay bands and grade pays allowing the benefit of 3% pay fixation at every stage. |

2. The MACPS should strictly be implemented in keeping with the instructions issued vide Board's letter dated 10.6.2009 and read with the aforesaid clarifications.

3. Hindi version is enclosed.

***[Authority: DoP&T's OM No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 09.09.2010]***

**(N.P. Singh)**
**Deputy Director, Pay Commission-V**
**Railway Board**

No PC-V/2009/ACP/2 New Delhi, dated 29.9.2010

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

**For Financial Commissioner, Railways**

No. PC-V/2009/ACP/2 New Delhi, dated 29.9.2010

Copy forwarded to :-

1) The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2) The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
3) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares)
4) The Secretary General FROA
5) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association
6) The President, Railway Board Group 'B' Officers' Association
7) The Secretary General, All India RPF Association
8) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association
9) The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
10) Railway Board Promotee Officers Association, Room No, 341-C, Rail Bhawan

**for Secretary, Railway Board**

Copy to:-

1. The GMs, N.F. Railway (Const.),CAO, SR (Const.) and CR (Const.)
2. FA & CAOs, All Indian Railways, PUs, NFR (Const.), SR (Const.) & CR (Const.)
3. The General Managers, RDSO, Lucknow
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta
5. The CAO and FA & CAO, COFMOW/New Delhi
6. The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad
7. The Director General, Railway Staff College/Vadodara
8. The CAO (Const.), MTP(R)/Mumbai
9. The CAO (Const.), MTP(R)/Chennai
10. The Director, CAMTECH/Gwalior-474020
11. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad

**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)**

क्र.सं. पीसी-VI/228 आरबीई सं.143/2010
सं. पीसी-V/2009/एसीपी/2 नई दिल्ली, दिनांक: 29 .09.2010

**महाप्रबंधक,**
**सभी भारतीय रेलें एवं**
**उत्पादन इकाइयां**
(डाक सूची के अनुसार)

**विषय: रेलवे कर्मचारियों के लिए आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना से संबंधित स्पष्टीकरण।**

बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 के समसंख्यक पत्र द्वारा अधिसूचित रेल कर्मचारियों के लिए आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के क्रम में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना से संबंधित कतिपय मुद्दों पर मद-वार स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:-

| क्र.सं. | संदेह का मुद्दा | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| 1. | क्या आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने पर पे बैंड तथा ग्रेड पे के पदानुक्रम में पे बैंड में परिवर्तन होगा ? | आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में निर्धारित किए गए अनुसार सिफारिश किए गए संशोधित पे बैंड तथा ग्रेड पे के पदानुक्रम में ठीक अगले उच्चतर ग्रेड पे में प्रदान किया जाता है। |
| 2. | क्या आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ उन रेलवे कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे जिन्हें बाद में संगठित ग्रुप 'ए' सेवा में शामिल कर दिया दिया गया है ? | नहीं। आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ संगठित ग्रुप 'ए' सेवाओं के ग्रुप 'ए' अधिकारियों पर लागू नहीं हैं, क्योंकि संगठित ग्रुप 'ए' सेवाओं के अंतर्गत अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ ग़ैर-कार्यात्मक आधार पर दो वर्ष की साम्यता की पहले ही अनुमति दे दी गई है। |
| 3. | 01.01.2006 तथा 31.08.2008 के बीच देय सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के लाभ कैसे प्रदान किए जाएंगे ? | नई आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना 01.09.2008 से प्रभावी हुई है। बहरहाल, वेतन संरचना में 01.01.2006 से परिवर्तन किया गया है। अत: पूर्व सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना 01.01.2006 से अपनाई गई नई वेतन संरचना में लागू होगी। **आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अनुबंध-I का पैरा 6.1 केवल संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प देने के लिए है न कि आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए।** निम्नलिखित उदाहरणों से स्थिति स्पष्ट हो जाती है:-<br>**<u>(क) पृथक पद के मामले में:</u>**<br>**₹ 4000-6000** के संशोधन-पूर्व वेतनमान में प्रवेश ग्रेड में नियुक्ति की तारीख : 01.10.1982,<br>01-10-1999 को पहली सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन प्रदान की गई: **₹4500-7000 (संशोधन-पूर्व)**<br>01.10.2006 को दूसरी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन देय **₹ 5000-8000 (संशोधन-पूर्व)**<br>**[संशोधित पे बैंड-2 ग्रेड पे ₹4200]**<br>आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन सिफारिश किए गए संशोधित पे बैंड तथा ग्रेड पे अर्थात् पीबी-2 में ₹4600 के ग्रेड पे के पदानुक्रम में ठीक अगली उच्चतर ग्रेड पे में 01.10.2012 (30 वर्ष की निरंतर नियमित सेवा पूरी कर लेने पर) को देय |

| | | |
|---|---|---|
| | | होगा।<br><br>**<u>(ख) सामान्य पदोन्नति पदानुक्रम के मामले में:</u>**<br>**₹ 5500-9000** के संशोधन-पूर्व वेतनमान में प्रवेश ग्रेड में नियुक्ति की तारीख **: 01.10.1982,**<br>01.10.1999 को पहली सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन प्रदान की गई: **₹ 6500-10500 (संशोधन-पूर्व)**<br>01.10.2006 को देय दूसरी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार): **₹10000-15200 (संशोधन-पूर्व)। अतः दूसरी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पे बैंड-3 में ₹6600 के ग्रेड पे के साथ होगी (उपलब्ध पदानुक्रम के अनुसार):**<br>आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन सिफारिश किए गए संशोधित पे बैंड तथा ₹7600 की ग्रेड पे के पदानुक्रम में ठीक अगली उच्चतर ग्रेड पे में 01.10.2012 को देय होगा। |
| 4. | क्या आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ प्रवेश ग्रेड की तारीख से अथवा विभिन्न सेवा नियमों के तहत गणना की गई उनकी नियमित सेवा/अनुमोदित सेवा की तारीख से प्रदान किए जाएंगे ? | आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ प्रवेश ग्रेड में पद का वास्तव में कार्यभार संभालने की तारीख से उपलब्ध होंगे। |
| 5. | उस मामले में जिसमें व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर उच्चतर वेतनमान में संवर्ग-बाह्य पद पर नियुक्त किया जाता है तथा बाद में उसे समाहित कर दिया जाता है, क्या आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा की अवधि की ग्रेड में निरंतर सेवा के रूप में गणना की जाएगी अथवा नहीं ? | (i) जब किसी व्यक्ति को उसी ग्रेड में किसी अन्य पद से सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है तो विगत में की गई नियमित सेवा तथा पूर्व पद पर विगत में हुई पदोन्नतियों/सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की नए पदानुक्रम में आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा की गणना करने के लिए परिकलन किया जाएगा।<br><br>(ii) बहरहाल, जब किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर प्रारंभ में उच्चतर वेतनमान में संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया जाता है और बाद में उसका समाहन हो जाता है तो आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती पद, जो निम्नतर वेतनमान में था, पर की गई सेवा की गणना नहीं की जा सकती है परन्तु नियमित सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति पर प्रारंभ में संवर्ग बाह्य पद पर समाहन से पूर्व की अवधि की गणना किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यह उसी पे बैंड/ग्रेड पे का पद है। |
| 6. | क्या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति अथवा चयन के लिए मूल पद के वेतनमान/ग्रेड पे अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन/आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन के कारण रेल कर्मचारी के पे स्केल/ग्रेड पे को ध्यान में रखा जाएगा। | प्रतिनियुक्ति के आधार पर उच्चतर पद पर नियुक्ति/चयन की पात्रता का निर्धारण करने के लिए केवल मूल पद के वेतनमान/ग्रेड पे को ध्यान में रखा जाएगा। |
| 7. | ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी को उपयुक्त न पाए जाने अथवा विभागीय कार्रवाई किए जाने आदि के कारण पहले/दूसरे वित्तीय अपग्रेडेशन को स्थगित रखा जाता है तो क्या इसका दूसरे/तीसरे वित्तीय अपग्रेडेशन पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा या नहीं ? | जी हां। यदि किसी कर्मचारी को उपयुक्त न पाए जाने अथवा विभागीय कार्रवाई आदि के कारण वित्तीय अपग्रेडेशन अस्थगित/विलंबित किया जाता है तो एमएसीपीएस के अंतर्गत दूसरे और तीसरे वित्तीय अपग्रेडेशन पर इसका परिणामी प्रभाव पड़ेगा (एमएसीपीएस के अनुबंध-I के पैरा 18 देखें)। |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | यदि किसी रेल कर्मचारी ने पहले ही तीन पदोन्नतियां प्राप्त कर ली हों और अब भी वह 10 वर्ष से ज़्यादा समय से एक ग्रेड में ही हो तो क्या वह आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत और आगे अपग्रेडेशन पाने का पात्र होगा ? | जी नहीं। चूंकि सरकारी कर्मचारी ने तीन पदोन्नतियां पहले ही प्राप्त की ली हैं इसलिए वह आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत आगे किसी और वित्तीय अपग्रेडेशन का पात्र नहीं होगा। |
| 9. | क्या ग्रुप 'डी' नॉन-मैट्रिकुलेट कर्मचारियों के मामले में ₹2750-4400 के संशोधन पूर्व वेतनमान को ₹2550-3200, ₹2610-3540, ₹2610-4000 और ₹2650-4000 के संशोधन पूर्व के वेतनमानों में अपग्रेड कर दिया गया है और पे बैंड पीबी-1 में ₹1800 के ग्रेड पे के संशोधित वेतन संरचना में प्रतिस्थापित कर दिया गया है, के मर्जर को देखते हुए आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के प्रयोजन के लिए ₹1800 के ग्रेड पे को मर्ज हुआ माना जाएगा। | जी हां। |
| 10. | यदि प्रतिनियुक्ति पर गया कोई रेल कर्मचारी अपने मूल संवर्ग में आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन अर्जित करता है तो क्या वह आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्राप्त वेतन और परिलब्धियों पर प्रतिनियुक्ति (शुल्क) भत्ता पाने का हकदार होगा या नहीं? | जी नहीं। यद्यपि संवर्ग बाह्य पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार संवर्ग बाह्य पदों पर नियुक्ति के लिए किसी कर्मचारी की पात्रता का निर्धारण नियमित आधार पर मूल संवर्ग में पद/धारित पद के वेतनमान के संदर्भ में किया जाएगा (सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना/आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए उच्चतर वेतनमान के संदर्भ में नहीं) परन्तु यदि प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर वेतन को विनियमित करने वाले मौजूदा सामान्य आदेश के तहत यह सामान्य हकदारी से ज़्यादा लाभकारी हो तो चयन होने पर ऐसे अधिकारी को प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति भत्ते के बिना सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना/आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान में वेतन पाने का विकल्प अनुमेय होगा। |
| 11. | चूंकि ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के वेतनमान को मर्ज कर दिया गया है और उन्हें ₹1800 के ग्रेड पे में रखा गया है तो क्या वे प्रत्येक चरण में वेतन के निर्धारण के दौरान 3% की दर पर वेतनवृद्धि पाने का हकदार होंगे ? | जी हां। आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अनुबंध-I के मद 22 के समनुरूप ऐसे ग्रुप 'डी' कर्मचारियों का वेतन जिन्हें 01.01.2006 से ` 1800 के ग्रेड पे में रखा गया है, प्रत्येक चरण में वेतन निर्धारण में 3% का लाभ प्रदान करते हुए संशोधित पे बैंड और ग्रेड वेतनमानों की पदानुक्रम में ठीक अगले तीन उच्चतर ग्रेड पे में निर्धारित किया जाएगा। |

2. बोर्ड के उपर्युक्त स्पष्टीकरणों के साथ पठित बोर्ड के 10.06.2009 के पत्र के माध्यम से जारी अनुदेशों के अनुसार आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

**[प्राधिकारः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 09.09.2010 का कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008- इस्ट (डी)]**

**(एन.पी. सिंह)**
**उप निदेशक, वेतन आयोग-V**
**रेलवे बोर्ड**